राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	1822/2013	बूंटीराम मोटसरा	1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुंझूनू। 3. प्रधानाचार्य, डाईट, झुंझुनू।
2.	1823/2013	सुल्तान सिंह	1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सीकर।

आदेश की दिनांक : 08.02.2024
उपस्थित :–
अपीलार्थीगण की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1822/2013 बूंटीराम मोटसरा बनाम माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक 11.10.1984 के द्वारा दी गई। अपीलार्थी निर्धारित योग्यता रखता था, इस कारण से अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नति आदेश दिनांक 18.03.1989 से प्रदान की गई। इसके पश्चात अपीलार्थी लगातार व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी को नियमित रूप से व्याख्याता के पद पर वर्ष 2002–03 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जिसके संबंध में आदेश दिनांक 15.03.2013 जारी किया गया। अपीलार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ क्रमशः 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थी 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 11.10.2002 से प्राप्त करने का अधिकारी था, परंतु अपीलार्थी को वह लाभ नहीं दिया गया। संशोधित वेतनमान नियम–2008 के अनुसार चयनित वेतनमान के लाभ के स्थान पर एसीपी का लाभ दिया जाना

शुरू हुआ, जो 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवाओं पर दिया जाता है। परंतु अपीलार्थी को द्वितीय एसीपी का लाभ दिनांक 01.09.2006 से दिये जाने के आदेश दिनांक 30.04.2010 के द्वारा जारी किया गया। बाद में संशोधित वेतनमान नियम–2008 को संशोधित कर 10 वर्ष के स्थान पर 9 वर्ष संशोधित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वितीय एसीपी का लाभ 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक 11.10.2002 से व तृतीय एसीपी का लाभ 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 11.10.2011 से प्राप्त करने का अधिकारी होता है, परंतु अपीलार्थी को ये लाभ नहीं दिये गये। अपीलार्थी द्वारा समय–समय पर अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया, परंतु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को द्वितीय एवं तृतीय एसीपी का लाभ क्रमशः 18 एवं 27 वर्ष की सेवाएं उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 11.10.1984 से गणना करते हुए प्रदान किया जाये।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की आ प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.10.1984 से 9 वर्ष की सेवा पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार चयनित वेतनमान देय था लेकिन इससे पूर्व ही अपीलार्थी की व्याख्याता पद पर तदर्थ पदोन्नति आदेश दिनांक 18.03.1989 के होने के कारण उसे लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 31.03.1989 को व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण कर लिया था। 18 वर्ष की सेवा पर दिनांक 11.10.2002 से द्वितीय चयनित वेतनमान हेतु मांग की गयी है, जो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 07.08.1998 के अनुसार शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान–1998 के तहत 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पर देय चयनित वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से अप्रभावी हो गये। दिनांक 07.08.1998 के आदेशानुसार व्याख्याता पद पर 10 वर्ष की सेवा होने पर वरिष्ठ वेतनमान 7500–12000 देय है जबकि अपीलार्थी की सेवायें 10 वर्ष व्याख्याता पद पर पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन यह पदोन्नति तदर्थ थी। इसलिये अपीलार्थी को यह लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी की डी.पी.सी. व्याख्याता पद पर वर्ष 2002–03 से की गयी है। अतः 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व ही वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2008 प्रभावी हो जाने के कारण दिनांक 01.09.2006 से 20 वर्ष की नियमित सेवा पर ए.सी.पी. स्वीकृत की गयी है। 10 वर्ष की बजाय 9 वर्ष ही सेवा की गयी है, लेकिन यह अराजपत्रित कर्मचारियों पर लागू होता है, जबकि अपीलार्थी राजपत्रित है। आदेश दिनांक 06.10.2008 के अनुसार 9, 18 व 27

वर्ष अरापत्रित कार्मिकों तथा 10, 20 व 30 वर्ष राजपत्रित के लिये लागू होता है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 राज्य सेवा के अधिकारियों को ए.सी.पी. स्वीकृति 10, 20 व 30 वर्ष की सेवा पर लागू होगा। नियम संख्या–14 के अनुसार ऐसे कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 या 27.02.1998 के आदेशानुसार एक चयनित वेतनमान या एक पदोन्नति दी जा चुकी है, उनको 20 व 30 वर्ष की सेवा पर ए.सी.पी. देय है ।

4. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.03.1989 (अनुलग्नक–2) के द्वारा तदर्थ/अस्थाई रूप से व्याख्याता के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के कारण उसे मिलने वाले चयनित वेतनमान के लाभ को गलत रूप से वंचित किया जा रहा है। अपीलार्थी की व्याख्याता के पद पर नियुक्ति अस्थाई रूप से हुई थी, तो निश्चय ही उसका वेतन अस्थाई पद पर जो कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद था, पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए था और उसे 18 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए था।

6. अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उसके संस्थायी पद द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर सर्वप्रथम कार्यग्रहण करने की तिथि से वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार देय होने वाले 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर मिलने वाले चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाये और अपीलार्थी के व्याख्याता के पद पर संस्थायी रूप से नियुक्ति की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ नियमानुसार प्रदान किया जाये।

7. अपील संख्या 1823/2013 में भी अपीलार्थी सुल्तान सिंह उपरोक्त प्रदान किये गये अनुतोष के अनुसार ही लाभ प्रदान किया जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)